



संख्या— 4314 / जी0एस0(शिक्षा) / A16-15 / 2025

प्रेषक,

रीना जोशी

कुलाधिपति के अपर सचिव।

सेवा में,

कुलपति,

सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय,

अल्मोड़ा।

राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय उत्तराखण्ड :

देहरादून : दिनांक : 30 जनवरी, 2026

महोदय,

कृपया आपके द्वारा अस्थाई सम्बद्धता पोर्टल पर प्रस्ताव क्रमांक 250107104829 तथा प्रस्ताव क्रमांक 250107011012 के माध्यम से राज्यपाल सचिवालय को प्रेषित प्रस्तावों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. उपरोक्त सन्दर्भ के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नियामक संस्था, निरीक्षण मण्डल, कुलपति व कुलसचिव, सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त संस्तुति के दृष्टिगत विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 की धारा-33(1) के अधीन निम्नवत् संस्थान को उसके सम्मुख वर्णित पाठ्यक्रम, सीटों एवं अवधि की अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण हेतु मा0 कुलाधिपति द्वारा निम्नवत् उपबन्धों के साथ पूर्वानुमोदन प्रदान किया गया है :-

संस्थान का नाम	पाठ्यक्रम	सीट संख्या	शैक्षिक सत्र
स्व0 चन्द्र सिंह शाही राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कपकोट, बागेश्वर।	बी0ए0 (हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, अर्थशास्त्र, चित्रकला, गृह विज्ञान, इतिहास, समाजशास्त्र एवं शिक्षाशास्त्र)	267	2025-26
	एम0ए0 (हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, चित्रकला एवं गृहविज्ञान)	40	
	बी0एससी0 (गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जन्तु विज्ञान कम्प्यूटर विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान एवं वनस्पति विज्ञान)	160	

(1) नियामक संस्था, राज्य सरकार एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सभी मानकों के पूर्ण होने की दशा में ही कार्यपरिषद के अनुमोदन से विहित शर्तों/उपबन्धों के अधीन अस्थाई सम्बद्धता के आदेश निर्गत करे व तत्सम्बन्धी कार्यवाही की सूचना मा0 कुलाधिपति महोदय के अवगतार्थ उपलब्ध कराये। अग्रेत्तर सत्रों के सम्बद्धता प्रस्ताव नियामक संस्था, शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप पूर्ण होने की दशा में ही स्वीकार किये जायें अन्यथा की स्थिति में अपूर्ण प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व विश्वविद्यालय का होगा।

(2) यदि कोई सूचना या तथ्य भविष्य में गलत पाया जाता है, तो निर्गत अनुमति/सम्बद्धता को निरस्त कर संस्थान के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी।

भवदीया,
Digitally signed by
REENA JOSHI
Date: 30-01-2026 14:47:57
(रेना जोशी)
कुलाधिपति के अपर सचिव।

संख्या— 4314 (1)/जी0एस0(शिक्षा)/A16-15/2025 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय, हल्द्वानी।
3. प्राचार्य/निदेशक, संबंधित संस्थान।
- ✓ 4. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड/फाईल हेतु।

आज्ञा से
Digitally signed by
Shri Laxman Ram Arya
Date: 30-01-2026 15:20:57
(लक्ष्मण राम आर्य)
कुलाधिपति के उपसचिव।